FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0276   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 18/10/2025 19:15 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 14/10/2025   Date To (दिनांक तक): 15/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 09:40 बजे   Time To (समय तक): 16:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/10/2025   Time (समय): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 18/10/2025 19:15:47 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 4 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): POLICE THANA KOTWALI, JILA ALWAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): AJAY SAHU

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAJESH KUMAR SAHU

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1999 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ALWAR GAT KE PASS MALAKHERA, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	ALWAR GAT KE PASS MALAKHERA, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KANHAIYALAL		पिता:ROSAN LAL	1. GRAM HARSAULI,GOVINDGARH,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA
2	MAZLISH		पिता:CHHUTMAL KHAN	1. GRAM CHHILLODI,RAINI,RAJGARH(ALWAR),ALWAR,RAJASTHAN,INDI

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,30,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,30,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर के समक्ष ब्यूरों कार्यालय अलवर मे दिनांक 14.10.2025 को वक्त करीब 9.40 ए.एम परिवादी श्री अजय साहू पुत्र श्री राजेश कुमार साहू जाति तेली उम्र 26 साल निवासी अलवर गेट के पास मालाखेडा जिला अलवर ने उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिसका मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री अजय साहू को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री अजय साहू ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि "पुलिस थाना कोतवाली में मेरे खिलाफ एफआईआर नम्बर 707/2025 दर्ज है उक्त केस के आईओ श्री कन्हैयालाल एएसआई है आईओ साहब मेरे खिलाफ दर्ज केस में एफआर देने व एफआर कोर्ट में पेश करने के लिये उनके दलाल श्री मजलीश खान के मार्फत 150000/-रूपये की रिश्वत मांग रहे है। मैं इनको रिश्वत नहीं देना चाहता उनको रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। कृपया करके कानूनी कार्यवाही करे। मेरे विरूद्ध दर्ज केस की एफआईआर व आधार की प्रति स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त पेश कर रहा हूं" परिवादी ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया तथा पूछताछ करने पर यह भी बताया कि श्रीमान मेरी श्री कन्हैयालाल एएसआई से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा ना ही कोई उधार लेन-देन भी बकाया है और यह भी बताया कि मेरे खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा नम्बर 707/2025 के आईओ श्री कन्हैयालाल एएसआई के मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर दिनांक 10.10.25 को करीब सायं पांच बजे फोन आया और मुझसे कहा कि तेरे वाट्सएप पर इस केस के संबंध में नोटिस भेजा है उस नोटिस की पालना में थाना आ जाओ, इसके बाद उसी दिन मैनें श्री कन्हैयालाल एएसआई को वापिस फोन कर अगले दिन आने के लिए पूछा तो उसने कहा कि ठीक है कल तक आ जाना और मुझसे पूछा कि मजलिस, बाराभडकोल वाले को जानता है क्या तो मैने तो उनसे कहा हां मेरे जानकार है तो एएसआई ने मुझसे कहा कोतवाली आने से पहले मजलिस से बात कर लेना। इसके बाद उसी दिन करीब 06○:15 पीएम पर मजलिस से बातचीत कर मेरे केस के बारे मे व एएसआई से हुई बातचीत के बारे में बताया तो मजलिस ने मुझसे कहा तुझे चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। कन्हैयालाल से तो मैं कई काम करवा चुकां हूं तेरे को कुछ खर्च करने पडेगे आप जिस दिन कोतवाली जाना चाहो तब बता देना मैं कन्हैयालाल एएसआई से बात कर मिलने का समय ले लुंगा। आज सुबह मैने मजलिस से बात की तो दलाल मजलिस ने मुझे 10-11 बजे तक कोतवाली थाने पर आने का बोला है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाये जाने पर वक्त करीब 10.15 ए.एम पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर परिवादी श्री अजय साहू को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री कन्हैयालाल एएसआई पुलिस थाना कोतवाली अलवर के पास जाकर आरोपी एएसआई से अपने काम के लिये रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा श्री कन्हैयालाल एएसआई से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें साथ ही श्री सुण्डाराम हैड कानि. को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री अजय साहू को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। हैड कानि0 को यह भी हिदायत दी गई रिश्वत मांग सत्यापन होने के बाद परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। परिवादी व हैड कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये परिवादी श्री अजय साहू की मोटर साईकिल से रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 1.30 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री सुण्डाराम हैड कानि. मय परिवादी श्री अजय साहू के ब्यूरों कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया और श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से

रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अजय साहू ने बताया कि आज मैं और आपका कर्मचारी श्री सुण्डाराम हैड कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली के पास पहूंचे जहां श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर मुझे दे दिया जिसे मैं अपने पास रखकर पुलिस थाना कोतवाली के अन्दर कन्हैयालाल एएसआई के कमरे में गया तो उनके पास मजलिस बैठा मिला उसके बाद मैनें एएसआई कन्हैयालाल से मेरे मुकदमे के बारे में बातचीत की कन्हैयालाल ने मेरे से कुछ कागजों पर साईन करवाये व दो गवाह लाने के बारे में कहा था फिर मेरे को फोटो व आधार कार्ड की फोटोकापी लाने के लिए और मेरे मकान पर लगे कोर्ट स्टे की कापी कोतवाली से बाहर कराके लाने के लिए मजलिस, कन्हैयालाल एएसआई के पास ही बैठा रहा इसके बाद मैं फोटो कापी करवाकर कन्हैयालाल एएसआई के कमरे में गया फोटो कापी कन्हैयालाल एएसआई को दे दी मजलिस, कन्हैयालाल एएसआई के सामने ही मेरे से मेरे मुकदमे में एफआर लगाने के लिए 1,50000/-रूपये की कही इस पर मैने कन्हैयालाल एएसआई से कहा ज्यादा रकम है तो कन्हैयालाल ने मुझसे चुप करने का ईशारा करते हुये, धीमी आवाज में कहा मजलिस से ही बात कर मेरे निवेदन पर मजलिस 1,30,000/-रूपये में मान गया इसी दौरान कन्हैयालाल एएसआई ने कहा मैं तो एफआर दे सकता हूं आज मंगलवार है तेरे दिनमान सही है, बातचीत के दौरान ही कन्हैयालाल एएसआई ने मजलिस को प्रिन्टर की कार्टीज रोड नं0 2 से लाने के लिए कहा तो मजलिस ने मेरे को प्रिन्टर की कार्टीज लाने भेजा, मैं कोतवाली से निकलकर रोड नं0 02 से कार्टीज लाकर एएसआई कन्हैयालाल को दी और मेरे से कहा मजलिस से बात करले इसके बाद मजलिस मुझे कन्हैयालाल एएसआई के कमरे से बाहर लेकर आया और कोतवाली के अन्दर मन्दिर के पास मजलिस ने कहा कि 1,50,000/-रूपये से 1,30,000 रूपये करवा दिये है। अब पैसे आज ही सात बजे तक देने है नही तो मेरी बात खराब हो जायेगी। फिर मैनें कहा कि मेरे को जाने दे पैसे की व्यवस्था करनी है। उक्त वार्ता को मैनें आपके टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। मजलिस को कोतवाली थाने पर ही छोडकर वहां से रवाना होकर आपके कर्मचारी के पास आया जिसे रिकॉर्डर चालू हालत में सुपुर्द किया जिसे उन्होंने बन्द कर अपने पास रख लिया। इसके बाद आपके कार्यालय आ गये उक्त बातों की परिवादी के साथ गये श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने भी ताईद की। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड को प्राप्त कर रिकॉर्डर में ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी से संदिग्ध आरोपी एएसआई की उपस्थिति में दलाल मजलिस के द्वारा परिवादी के खिलाफ दर्ज मुकदमे मे एफआर लगाने की एवजं में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 1,50,000/-रूपये की रिश्वत मांगना व परिवादी के निवेदन पर 1,30,000/-रूपये रिश्वत राशि सहमत होना पाया गया। फर्द वापसी डिजिटल वॉईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 3.40 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस ने परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे मे पूछा तो परिवादी ने बताया साहब आज तो 1,30,000/- रूपये की व्यवस्था नहीं है कल तक मैं पैसे की व्यवस्था कर दूंगा और कहा दलाल मजलिस को रिश्वती राशि के लिए फोन कर कल दिनांक 15.10.2025 को देने की कह देता हूं। इस पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] आरोपी दलाल मजलिस के वाट्सएप नम्बर [redacted] पर वाटसएप कॉल करवाया तो दलाल मजलिस ने आज ही पैसे की कही है परिवादी के बार बार निवेदन करने पर भी दलाल मजलिस ने आज ही पैसे देने की कही है तभी आपकी एफआर लगेगी। उक्त वार्ता को कार्यालय के टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। परिवादी ने ये भी बताया दलाल मजलिस पैसे के लिए फिर फोन करेगा। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से परिवादी को कार्यालय बैठाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 7.25 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस को परिवादी ने बताया कि दलाल मजलिस रिश्वत के पैसो के लिए आज की ही कह रहा है मैं एएसआई कन्हैयालाल जी से बात कर लेता हूं। जिस पर परिवादी को एएसआई कन्हैयालाल को फोन करने को कहा तो परिवादी श्री अजय साहू ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी कन्हैयालाल एएसआई के मोबाईल नम्बर [redacted] पर विडियों कॉल किया तो कन्हैयालाल एएसआई ने कॉल अटैन्ड कर लिया लेकिन कॉई जबाब नहीं दिया और विडियों कॉल काट दिया। इसके बाद परिवादी अजय साहू ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी कन्हैयालाल एएसआई के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाटसएप कॉल किया तो कन्हैयालाल एएसआई ने कॉल अटैण्ड नही किया। इसके बाद परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से दलाल मजलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाटसएप कॉल किया और एएसआई से हुई कॉल के बारे मे बताया तो दलाल मजलिस ने कहा आज ही पैसे की व्यवस्था कर नही तो कल तू जाने तेरा काम जाने। उक्त वार्ता को कार्यालय के टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 7.50 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस को परिवादी ने कहा कि दलाल मजलिस से रिश्वत की पैसो के कल देने के लिए एक बार और निवेदन कर लेता हूं। इसके बाद परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से दलाल मजलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाटसएप कॉल किया अटैण्ड नहीं किया समय करीब 08.00 पीएम पर पुनः कॉल किया तो दलाल मजलिस ने उठा लिया और बार बार निवेदन करने पर रिश्वत की राशि कल 02 बजे तक हर हाल में पैसे ले आना एफआर लगवानी है तो। आरोपी दलाल मजलिस कल दिनांक 15.10.2025 को 02 बजे तक परिवादी से रिश्वत राशि के लिए मान गया। उक्त वार्ता को कार्यालय के टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। वॉईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड लगे हुये ही कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया और

परिवादी के पैसे की व्यवस्था कर कल दिनांक 15.10.2025 को वक्त 8.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत के साथ रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 15.10.2025 को वक्त करीब 8.05 ए.एम परिवादी श्री अजय साहू एसीबी कार्यालय अलवर में उपस्थित आया और अवगत कराया कि साहब मैं रिश्वत में दी जाने वाली 1,30,000/-रूपये साथ लेकर आया हूं। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 8.10 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर से दो कर्मचारी उपस्थित आये जिनसे नाम पद पूछने पर एक ने अपना नाम श्री संजय कटारिया पुत्र रमेश चन्द कटारिया, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अलवर व दूसरे ने श्री राजन मीना पुत्र श्री कमल मीना कनिष्ठ सहायक, कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर होना बताया। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। इसके बाद पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री अजय साहू का परिचय उपरोक्त दोनों गवाहान से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री अजय साहू द्वारा दिनांक 14.10.2025 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री अजय साहू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री कन्हैयालाल एएसआई, पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर व एएसआई के दलाल मजलिस द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशी के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया। तत्पश्चात उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष परिवादी श्री अजय साहू ने अवगत करवाया कि दलाल मजलिस के बार बार वाट्सएप कॉल आ रहे है। परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से दलाल मजलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाटसएप कॉल किया तो आरोपी दलाल ने परिवादी को पैसे देकर फ्री होने के लिए कहा जिस पर परिवादी ने बारह एक बजे तक पैसे लेकर आने की कही। इसके बाद समय करीब 11.50 एएम पर परिवादी के पास पुनः वाट्सअप कॉल आई तो परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से दलाल मजलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाटसएप कॉल किया तो आरोपी दलाल ने परिवादी को पैसे कोतवाली पर अपने आदमी को देने के लिए बोला जिस पर परिवादी ने कहा आप आज जाओ या मैं एएसआई को पैसे दे दुंगा आप एएसआई को फोन कर लो जिस पर दलाल मजलिस ने कहा वो आपसे पैसे नही लेगा आपको काम करवाना है। पैसे दे दो आपको काम से मतलब और फोन काट दिया। उक्त वार्ताओ को कार्यालय के टेप रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर उसमें से एसडी कार्ड जिसमें दिनांक 14.10.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व मोबाईल वार्ता रिकॉर्ड है को सुरक्षा की दृष्टि से टेप रिकॉर्डर से निकालकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया व टेप रिकॉर्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर फोल्डर 01 में रिकॉर्ड करवाया गया। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री अजय साहु पुत्र श्री राजेश कुमार साहु जाति तेली उम्र 26 साल निवासी अलवर गेट मालाखेडा जिला अलवर को संदिग्द आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने को कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 260 नोट कुल 130,000/-रूपये निकालकर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर को पेश किये, जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर उक्त नोटों के नम्बर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्री भास्कर हैड कानि. 59 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 130,000/-रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्री भास्कर हैड कानि. 59 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री अजय साहु की जामा तलाशी गवाह श्री संजय कटारिया से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 130,000/- रूपये को श्री भास्कर हैड कानि. 59 से परिवादी श्री अजय साहु की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाउडर युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ ना लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उसके देवे तथा आरोपी नोटो को प्राप्त कर कहा रखता है इसका पुरा पुरा ध्यान रखे और आरोपी को रिश्वत राशी प्राप्त करने के बाद कोई बहाना बनाकर सिर पर हाथ फेरकर या मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें साथ ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवष्यक हिदायत दी गई। उसके पश्चात एक नया डिस्पोजल गिलास में श्री सुण्डाराम हैड कानि0 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री भास्कर हैड कानि. 59 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व दोनो गवाहान तथा हाजरिन को फिनोफ्थलीन व सोडीयम कार्बोनेट के पाउडर की रसायनिक प्रतिक्रिया को महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया। जिस पर परिवादी श्री अजय साहु व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या

हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को अपने हाथां से प्राप्त किया है। श्री भास्कर हैड कानि. 59 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी का ढक्कन को बंद करवाकर कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री भास्कर हैड कानि. 59 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को श्री सुण्डाराम हैड कानि. साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। सोडीयम कार्बोनेट की शीशी व अन्य साजो सामान को भी ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद परिवादी श्री अजय साहु को छोडकर दोनो गवाहान ट्रेप पार्टी सदस्यो तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आपस में जामा तलाषी लिवाई गई जिसमें मोबाईल फोन एवं परिचय पत्र के अतिरिक्त कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात परिवादी को रिश्वत राशी लेन देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरों विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे नया एसडी मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगे हुए सहित रिकॉर्डर को चालु व बंद करने की विधि पुनः समझाईस कर उक्त डिजिटव वाईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि पुनः समझाईस कर उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी अजय साहु की पहनी हुई पेन्ट की बाई जेब रखवाया गया तथा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को आवष्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादी को रिश्वत राशी सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों का विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालुकर सुपुर्द कर रवाना करे। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात फर्द सुपुदर्गी नोट व दृष्टांत फिनोथफथलीन पॉउडर के दौरान ही समय करीब 01.00 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी दलाल मजलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] से वाटसएप कॉल आया जिससे परिवादी ने वार्ता की तो आरोपी दलाल ने कोतवाली पर मेरे आदमी है उसको पैसे देने के लिए बोला वो एएसआई को पहूचा देगा इस पर परिवादी ने मना कर दिया कि और कहा मैं आपको या एएसआई को ही पैसा दुंगा मैं किसी तीसरे आदमी को पैसा नहीं दुंगा इसके बाद आरोपी दलाल ने फोन काट दिया। इसके बाद समय करीब 02.00 पीएम पर परिवादी के पास पुनः वाट्सअप कॉल आई तो परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से दलाल मजलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाटसएप कॉल किया तो परिवादी ने आरोपी दलाल मजलिस से कहा पैसे की व्यवस्था हो गई है तो आरोपी दलाल ने कहा कोतवाली मिलो मैं वहां आ रहा हूं। उक्त वार्ताओ को कार्यालय के टेप रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड के फोल्डर 01 मे रिकॉर्ड करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 2.40 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री राजन मीना एवं एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, कपिल सोमवंशी, वरिष्ठ सहायक मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के साथ एक प्राइवेट वाहन तथा श्री रामसिंह कानि0 549, भगवान सिंह कानि. 125, भीमसिंह कानि. 192, रामजीत सिंह कानि. 206, स्वतन्त्र गवाह श्री संजय कटारिया व श्रीमती सुनिता महिता हैड कानि. 148 दो मोटरसाईकिल व एक स्कूटी से एवं परिवादी श्री अजय साहू व सुण्डाराम हैड कानि. 02 को परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना कर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब कोतवाली अलवर के लिये रवाना हुआ तथा श्री भास्कर हैड कानि. 59 को कार्यालय में मुनासिब हिदायत के साथ छोडा गया। वक्त करीब 3.00 पी.एम मन् अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कोतवाली से पहले काशीराम चौराहा पहूंचा। परिवादी व सुण्डाराम हैड कानि. को गाडी में बैठाया गया इसी दौरान परिवादी के पास आरोपी दलाल मजलिस का वाटसएप कॉल आया परिवादी से आरोपी दलाल ने कहा पर हो जिस पर परिवादी ने कहा कोतवाली हूं आरोपी दलाल ने कहा बस आ गया दो मिनट मे उक्त वार्ता को परिवादी को पूर्व में सुपुर्द डिजीटल टेप रिकॉर्डर को प्राप्त कर फोल्डर 02 में रिकॉर्ड किया गया। डिजिटल टेपरिकॉर्ड श्री सुण्डाराम हैड कानि. से चालू करवाकर सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत कर परिवादी को आरोपी दलाल मजलिस के पास कोतवाली थाने पर रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये कोतवाली थाने के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात वक्त करीब 3.58 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष श्री अजय शाहू पुत्र श्री राजेश कुमार शाहु जाति तेली उम्र 26 साल निवासी अलवर गेट मालाखेडा जिला अलवर ने पुलिस थाना कोतवाली अलवर के परिसर में बने मन्दिर के सामने मैन गेट से आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा किया जिसको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम सदस्यो द्वारा देखा गया। परिवादी का उक्त निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् अतिरिक्त पुलस अधीक्षक उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास पुलिस थाना कोतवाली अलवर के गेट पर पहूंचा। जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से पूर्व मे सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर टेपरिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसी दौरान परिवादी श्री अजय साहु ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष एक व्यक्ति जो पुलिस थाना कोतवाली अलवर के

परिसर में खडी मोटर साईकिल पर बैठे हुये की तरफ इशारा कर बताया की ये ही मजलिस खांन है जिसने अभी अभी पुलिस थाना कोतवाली में मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे में एफआर देने व एफआर को कोर्ट मे पेश करने के लिये मुकदमे के अनुसंधान अधिकारी श्री कन्हैयालाल सउनि के अनुसंधान कक्ष में उनके समक्ष 130000/-रूपये की रिश्वत राशी मेरे से मांगकर व दाये हाथ से ग्रहण कर मौके पर ही उपस्थित आरोपी श्री कन्हैयालाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर को देने पर आरोपी श्री कन्हैयालाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर द्वारा अपनी सीट पर बैठे बैठे ही अपनी टेबिल की दराज खोलकर आरोपी मजलिस से उक्त रिश्वत राशि अपनी टेबिल की दराज में रखवायी है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी के बताये अनुसार उक्त व्यक्ति जो एक मोटरसाईकल पर बैठा था के पास पहूंचा तो उक्त व्यक्ति अपनी मोटरसाईकल से खडा हो गया। उक्त खडे व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर व आने का मन्तव्य बताकर व स्टाफ की सहायता से उक्त व्यक्ति का दाहिना हाथ श्री सुण्डाराम हैड कानि. एवं बाया हाथ श्री भगवान सिंह कानि से कलाई के उपर से पकडवाया जाकर उसको तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो वह घबरा गया कुछ नही बोला इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी को पुनः तसल्ली देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मजलिश पुत्र श्री छुटमल खान जाति मेंव उम्र 45 साल निवासी ग्राम छिल्लोडी तहसील रैणी थाना राजगढ जिला अलवर होना बताया। इसी दौरान परिवादी श्री अजय शाहू ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष पुलिस थाना कोतवाली अलवर में बने बरामदे मे एक पुलिस की वर्दी पहने हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की साहब ये ही कन्हैयालाल एएसआई साहब है जिसने अभी अभी मेरे से श्री मजलिश के मार्फत पुलिस थाना कोतवाली में मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे में एफआर देने व कोर्ट मे पेश करने के लिये अपने खुद के कमरे में बैठकर 130000/-रूपये की रिश्वत राशि अपनी स्वयं की दराज में रखवाये है, इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी मजलिस के दोनो हाथ स्टाफ सदस्यो के पकडे पकडे ही साथ में लेकर पुलिस थाना कोतवाली के बारामदे मे पहूंचा तथा उक्त वर्दीधारी व्यक्ति से जिसके कंधे पर एक स्टार लगा हुआ था तथा वर्दी पर नेम प्लेट जिस पर कन्हैयाला लिखा हुआ था को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर व आने का मन्तव्य बताकर उसका नाम पता पूछा वह घबरा गया और हडबडाहट करने लगा जिस पर उक्त वर्दीधारी व्यक्ति को स्टाफ की सहायता से उसका का बाया हाथ श्री भीम सिंह कानि. एवं दाया हाथ श्री रामजीत कानि से कलाई के उपर से पकडवाया जाकर उसको तसल्ली देकर पुनः उसका नाम पता पूछा तो वह घबरा गया कुछ नही बोला इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी को पुनः तसल्ली देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रोशन लाल उम्र 48 साल जाति जाटव निवासी ग्राम हरसौली तहसील व थाना गोविन्दगढ जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर होना बताया। उक्त दोनो आरोपीगणो को हाथ पकडे पकडे ही परिवादी के बताये अनुसार पुलिस थाना कोतवाली में बने आरोपी के अनुसंधान कक्ष में लेकर गये जहां पर दोनो आरोपीगण को पृथक -पृथक कुर्सी पर बैठाया गया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री कन्हैयालाल सउनि से दोनो गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य एवं परिवादी के समक्ष आरोपी मजलिस के मार्फत प्राप्त की गई राशि के बारे में पूछा की यह राशि आपने किस बात की प्राप्त की और कहा है तो आरोपी श्री कन्हैयालाल सउनि ने बताया की श्री अजय शाहू के विरूद्ध अपराध संख्या 707/2025 पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज है जिसके अनुसंधान के लिये मैने दिनांक 10.10.2025 को अजय शाहु के वाट्सअप पर नोटिस भेजा था और फोन करके थाने पर आने के लिये कहा तो इसके बाद मेरे पास मजलिस का फोन आया तथा उसने अजय के केस के संबंध मे बातचीत की और मैने मजलिस को दिनांक 14.10.2025 को पुलिस थाना कोतवाली पर लाने के लिये कहा था। कल दिनांक 14.10.2025 को ये दिन में दोनो मेरे पास आये थे और अजय के केस के बारे में मुझसे बातचीत की थी तब मैने अजय से कुछ कागज फोटो कॉपी करवाकर मंगवाये थे और एक दो दिन में गवाह पेश करने के लिये कहा था और ये मेरे पास से चले गये थे, इसके बाद आज दिन में मजलिस का फोन मेरे फोन पर आया तब मजलिस ने अजय के साथ कोतवाली में आना बताया था मै उस समय मुल्जिम पेश करने के लिये कोर्ट में जाने की बात बताई और थोडी देर में थाने पर आने के लिये कहा था तथा मै मुल्जिम पेश कर सरकारी वाहन से कोतवाली आया और मेरे अनुसंधान कक्ष में आकर बैठ गया और थोडी देर बाद ही ये दोने मेरे उक्त कमरे में आये और बैठ गये मजलिस और अजय ने आपस में कोई बातचीत की और मजलिस ने अजय शाहु से 500-500 रूपये की गड्डी लेकर मेरी टेबिल की दराज खोलकर जबरदस्ती रख दिये और ये दोनो बाहर चले गये और मै एसएचओ साहब के कक्ष की तरफ चला गया मैने अजय से कोई रिश्वत की मांग नही की और ना ही रिश्वत ली है और उक्त 130000/-रूपये मेरी टेबिल की दाहिनी साईड की रैंक मे ही रख हुये है। इस पर गवाहान से उक्त टेबिल के दाहिने साईड की रैंक को खुलवाकर दिखवाये गये तो रैक में अन्य फाईलो के साथ एक पॉलोथीन पर 500-500 नोटो की गड्डी रखी होना बताया जिसको दोनो गवाहान के साथा मैने एवं सभी सदस्यो ने भी देखा तथामौके पर उपस्थित परिवादी ने दोनो गवाहान व उपस्थित सभी सदस्यो के समक्ष कहा की साहब ये झूठ बोल रहा है, मेरे खिलाफ दर्ज केस मे मुझे दिनांक 10.10.2025 को मेरे मोबाईल पर नोटिस भेजा और मुझसे पुलिस थाना कोतवाली में आकर मिलने के लिये कहा और मुझसे कहा की अगर तू नही आयेगा तो मुझे लाना भी आता है, इसके बाद मैने उसी दिन मेरे जानकार मजलिस को फोन कर सभी बाते बताई तो मजलिस ने मुझसे कहा की श्री कन्हैयालाल जी हमारे लक्ष्मणगढ पुलिस थाने में रहे हुये है, मै उनको अच्छी तरह से जानता हूं मै उनसे समय लेकर के मिलने की व्यवस्था

क ा हूं इसके बाद मेरी व मजलिस की दिनांक 13.10.2025 को बातचीत हुई तो मजलिस ने मुझे कहा की एएसआई स से मेरी बात हो गई है, उन्होने कल दिनांक 14.10.2025 पुलिस थाना कोतवाली मे बुलाया है और मुझसे कहा है की ते स में एफआर दे देगे एक लाख पचास हजार रूपये की व्यवस्था रखना और वो तुझसे पैसे के बारे में बातचीत नही क ा और सिर्फ तेरे केस के बारे में बातचीत करेगा। इस पर मैने दिनांक 14.10.2025 को आपके कार्यालय में आकर प्रार्थना प स्तुत किया। जिस पर आपने रिश्वत मांग के सत्यापन की कार्यवाही के लिये मुझे आपके कर्मचारी श्री सुण्डाराम के साथ भे तो मैने आपके कर्मचारी को पुलिस थाना कोतवाली के बाहर छोड दिया और मुझे मजलिस गेट पर ही मिल गया तथा म लिस मुझे अपने साथ लेकर पुलिस थाना कोतवाली में एएसआई साहब के कमरे में लेकर आया और हमे एएसआई साहब क में बैठे मिले जिनसे मैने मेरे केस के बारे में बातचीत की तो इन्होने कहा की केस में एफआर दे दूंगा और मुझे कुछ का ो की फोटो कापी करवाने के लिय बाहर भेज दिया मै थोडी देर में वापिस थाने में आया तो मजलिस ने इनके पास बैठे बै ी कहा की एएसआई साहब से बातचीत हो गई है एफआर लग जायेगी 150000/-रूपये आज शाम तक ही देने पडेगे जि र मैने कहा की साहब 150000/-रूपये तो बहुत ज्याद और मेरी काफी मिन्नते करने के बाद मजलिस ने है कहा की द ीस हजार रूपये कम दे देना फिर इन्होने लास्ट में 130000/-रूपये की व्यवस्था करने को कहा तथा आज ही हर सूरत मे लाख रूपये लेकर लाने की कही जो सभी बाते मैने आपके सरकारी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली जो आपको ले जाकर दे दि और मजलिस के कल भी रूपयों के लिये कई फोन आये इसके बाद आज सुबह भी मजलिस के रूपयो के लिये कई फोन आ । इसके बाद आज आपके निर्देशानुसार आज मै मजलिस के कहे अनुसार पुलिस थाना कोतवाली के गेट पर पहूंचा तो म लिस मुझे गेट पर ही मिल गया और हम दोनो कोतवाली अलवर के अन्दर आ गये और मजलिस ने एएसआई साहब से फो र बातचीत की तो एएसआई साहब ने कोर्ट में मुल्जिम पेश करने हेतु जाना बताया और थोडी देर में आना की कहा औ छ समय बाद मजलिस के पास एएसआई साहब का फोन आया और उसे कोर्ट में बुलाया इस पर मजलिस मुझे थाने मे ही डकर चला गया और कुछ देर बाद एएसआई साहब सरकारी गाडी से और मजलिस अपनी मोटरसाईकिल से थाने पर आ ा और अपनी मोटरसाइकिल कोतवाली में खडी करके मुझे साथ लेकर श्री कन्हैयालाल एएसआई के कमरे में आ गया। त जलिस को कन्हैयालाल जी ने कहा की मुझ पर कोतवाल साहब का दवाब था इस लिये मैने इतने फोन किये है। इसके बा जलिस ने एएसआई साहब से कहा की ये पैसे लेकर आने में लेट हो गया तो एएसआई साहब ने कहा कोई बात नही अ सका काम कर देगे। इसके बाद मुझे मजलिस ने रूपये देने के लिये कहा तो मैने अपनी जेब से 500-500 रूपये की प र लगी तीन गड्डी निकालकर मजलिस को दी तो मजलिस ने मुझसे पूछा की कितने रूपये है तो मैने एक लाख तीस ह रूपये होना बताया इसके बाद मजलिस ने मुझसे मांग कर रूपये प्राप्त किये तथा मेरे से लिये गये रूपये मजलिस ई साहब को देने लगा तो एएसआई साहब ने पूछा कितने है तब मजलिस ने एएसआई साहब को बताया की एक ीस हजार रूपये है। इस पर एएसआई साहब ने अपनी टेबिल का दराज का पल्ला खोलकर उक्त रूपये उसमें रखने के लि हा तो मजलिस ने एएसआई साहब के कहे अनुसार मेरे से लिये गये उक्त रूपये टेबिल की रैक मे रख दिय। इसके बाद ई साहब ने रैक का पल्ला बंद कर दिया और कहा ठीक है बात हो गई काम हो जायेगा। इसके बाद मै और मजलिस मरे से निकलकर बाहर आ गये और एएसआई साहब एसएचओ साहब के कमरे की तरफ चले गये और मैने थाने र में बने मन्दिर के पास मैन गेट से आपको निर्धारित ईशारा कर दिया और आप आ गये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस क ने आरोपी कन्हैयालाल से पुनः पूछा की आपने थोडी देर पहले बताया की मजलिस ने परिवादी से 130000/-रूपये पकी टेबिल की रैक में जबरदस्ती रख दिये तो आपने इसका विरोध क्यो नही किया तो इस पर आरोपी कन्हैयालाल कुछ नही बोला और चुप हो गया। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी मजलिस से परिवादी से दि 14.10.2025 को की गई रिश्वत मांग के अनुसरण में अभी ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो आरोपी मजलिस गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो व परिवादी के समक्ष बताया की श्री अजय साहु मेरे से पूर्व से परिचित है, मेरे पास य शाहु का दिनांक 10.10.2025 को फोन आया था और इसने मुझे बताया की पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर खिलाफ मुकदमा नम्बर 707/2025 दर्ज है जिसकी जांच श्री कन्हैयालाला एएसआई कर रहे है, तब मैने अजय से की श्री कन्हैयालाल हमारे लक्ष्मणगढ थाने मे रह चुके है और मेरे अच्छे जानकार है मै उनसे बात कर लेता हूं। इसके श्री कन्हैयालाल एएसआई साहब से बातचीत की तो इन्होन मुझे 14.10.2025 को अजय को साथ में लाकर मिलने कहा एएसआई साहब के कहे अनुसार मै श्री अजय साहु को साथ लेकर दिनांक 14.10.2025 को पुलिस थाना ी में इसी कमरे में आकर अजय के विरूद्ध दर्ज मुकदमे के संबंध में बातचीत की तो एएसआई साहब ने केस में देने की तथा एफआर कोर्ट में पेश करने की बातचीत की तो एएसआई साहब इस पर एफआर देने के लिये सहमत हो इसको फोटो कॉपी करवाने के लिये भे दिया तब एएसआई साहब ने अजय साहु से 150000/- रूपये लेने के लिये हा था। थोडी देर में अजय शाहू फोटो कॉपी करवाकर आ गया तब एएसआई साहब ने केस से संबंधित गवाह आज ी पेश करने की कहा था और फिर मुझसे कहा की इसको ले जाकर बातचीत कर ले। एएसआई साहब किसी से फोने ीत करने लग गये तब एएसआई साहब के कमरे मे बैठे बैठे मैने और अजय साहु ने इनके सामने ही पैसे के बारे में की और एएसआई साहब के कहे अनुसार ही मैने अजय शाहु को दिनांक 14.10.2025 को शाम तक ही 150000/-

रूपये देने के लिये कहा था, तब मुझसे अजय ने 150000/-रूपये तो बहुत ज्यादा है तब मैने अजय ने कहा था मै एएसआई साहब से बात कर लूंगा तू 10 -20 हजार रूपये कम ले आना फिर मैने इसको लास्ट इसके केस में एफआर दिलवाने व कोर्ट में पेश करवाने के लिये 130000 /- देने के लिये कहा था। ये कल शाम तक उक्त पैसे नही लेकर आया तो मैने इससे कई बार बातचीत की इसके बाद आज सुबह मैने इसको फोन करके 12 बजे तक पैसे लेकर आने के लिये कहा था इसके बाद इसका मेरे पास दिन में फोन आया था तथा मैने भी इसे कई बार पैसे की व्यवस्था कर तुरन्त लाने के लिये कहा फिर उसने मुझसे कहा की अब पुरे रूपये की व्यवस्था हो गई है आप कोतवाली आ जाओ तब मै कोतवाली आया तो अजय शाहु मुझे गेट पर ही मिल गया हम दोनो कोतवाली के अन्दर आ गये एएसआई साहब थाने पर नही होने से मैने एएसआई साहब से बात की तो इन्होंने कोर्ट में होना बताया और कुछ समय बाद श्री कन्हैयालाल एएसआई का मेरे फोन पर फोन आया और मुझसे कहा की मै कोर्ट से फ्री हो गया हूं पर मेरे पास गाडी नही आप मुझे लेने आ जाओ इसके बाद मै अजय को पुलिस थाना कोतवाली मे ही छोडकर मेरी मोटरसाईकल लेकर कोर्ट गया तो कन्हैयालालउ०ा एएसआई साहब मुझे रास्त मे ही मिल गये इतने में ही कोतवाली की सरकारी गाडी आ गई और कन्हैयालाल गाडी में बैठकर कोतवाली में आ गया और मै भी उनके पिछे पिछ पुलिस थाना कोतवाली मे आ गया और मेरी मोटरसाइकिल कोतवाली में खडी करके मै अजय को साथ लेकर श्री कन्हैयालाल एएसआई के कमरे में आ गया। तब मेरे को कन्हैयालाल जी कहा की मुझ पर कोतवाल साहब का दवाब था इस लिये मैने आपको इतने फोन किये है। इसके बाद मैने एएसआई साहब से कहा ये पैसे लेकर आने में लेट हो गया तो एएसआई साहब ने कहा कोई बात नही अब इसका काम कर देगे। इसके बाद मैने अजय साहु से रूपये देने के लिये कहा तो अजय साहु ने अपनी जेब से 500-500 रूपये की तीन गड्डी निकालकर मुझे दी तो मैने अजय से पूछा की कितने रूपये है तो अजय ने एक लाख तीस हजार रूपये होना बताया इसके बाद मै अजय से लिये गये रूपये एएसआई साहब को देने लगा तो एएसआई साहब ने पूछा कितने है तब मैने एएसआई साहब को बताया की एक लाख तीस हजार रूपये है । इस पर एएसआई साहब ने अपनी टेबिल का दराज का पल्ला खोलकर मुझे उक्त रूपये उसमें रखने के लिये कहा तो मैने एएसआई साहब के कहे अनुसार अजय से लिये गये रूपये उनकी टेबिल की रैक मे रख दिये। इसके बाद एएसआई साहब ने रैक का पल्ला बंद कर दिया और कहा ठीक है, बात हो गई काम हो जायेगा। इसके बाद मै और अजय इनके कमरे से निकलकर बाहर आ गये और एएसआई साहब एसएचओ साहब के कमरे की तरफ चले गये। मैन उक्त रूपये एएसआई साहब के कहे अनुसार ही लिये। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी से पूछा तो उक्त सभी बाते सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात पुलिस थाना कोतवाली अलवर में लगे वाटर कूलर से स्टील की बोतल में पानी भरवाकर श्री रामसिंह कानि. 549 से मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री मजलिस के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गैदमैला हुआ जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गैदमैला होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1 R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री मजलिस के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गैदमैला हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गैदमैला होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क ekdZ L -1 , L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में उक्त स्टील की बोतल से साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री कन्हैयालाल सहायक उप निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गैदमैला हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का हल्का गैदमैला होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-3, R-4 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री कन्हैयालाल सउनि के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग हल्का गैदमैला हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गैदमैला होना स्वीकार किया इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-3, L-4 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी

कन्हैयालाल सउनि के पूर्व के कथनानुसार उक्त अनुसंधान कक्ष में रखी टेबिल की दाहिने साईड की रैक में रखी पॉलोथीन पर से उक्त राशि गवाहा श्री संजय कटारिया से उठवाइ जाकर चैक करवाया तो 500-500 रूपये नोटो की तीन गड्डियो बरामद हुई उक्त बरामदशुदा राशि को गवाह श्री संजय कटारिया के पास सुरक्षित रखवाई गई, इसके बाद ट्रैप बाक्स से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त उक्त प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में उक्त स्टील की बोतल से साफ पानी भरकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में उक्त कक्ष में रखी टेबिल की दाहिने साईड की रैक में रखी पॉलोथीन जहां से उक्त राशि बारामद हुई है को श्री रामसिंह कानि. से बाहर निकलवाकर उक्त घोल में उक्त पॉलोथीन को डूबोकर धौवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क P -1 , P -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि जो गवाह श्री संजय कटारिया के पास सुरक्षिक रखवाई गई को दोनो गवाहान से गिनवाई गई तो 500-500 रूपये के 260 नोट कुल 130000/-रूपये होना बताया उक्त नोटो का मिलान दोनो गवाहान सें कार्यालय मे तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के विवरणो सें करवाया गया तो फर्द में अंकित नम्बरो व बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटो का मिलान सही होना बताया। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 260 नोट कुल 130,000/- रूपये के नोटो का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 260 नोट कुल 130000/- की रिश्वत राशि को एक सफेद कपडे की थैली मे रखवाया जाकर उक्त थैली मे एक सफेद कागज की चीट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करावये जाकर चीट को थैली में रखवाया जाकर उक्त थैली पर सभी संबंधितो व आरोपीगण श्री कन्हैयालाल सउनि व श्री मजलिस खांन दलाल प्राईवेट व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाया जाकर उक्त थैली को सील मोहर कर मार्क TM अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में 32 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी का एस.डी कार्ड लगवाया जाकर श्रीमती सुनीता हैड कानि. 148 से करवाई गई। जिसकी पृथक से फर्द विडियों ग्राफी एवं पैन ड्राईव व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की जावेगी। इस समय आरोपी श्री कन्हैयालाल को वर्दी पहने हुये डिटेन किया गया है वर्दी की गरिमा को मध्य नजर रखते हुये आरोपी की तलाशी गवाह श्री राजन मीणा से लिवाई गई तो उक्त वर्दी के पेन्ट की दाहिनी जेब में आरोपी का आधार कार्ड संख्या [redacted] एवं राजस्थान पुलिस का एएसआई के पद का पहचान पत्र जिसके क्रमांक 60/20 जो दिनांक 17.02.2022 को जारी किया गया है व एक एटीम कार्ड एसबीआई प्लेटिनम तथा 1770 रूपये तथा एक मोबाईल सैमसंग कम्पनी का मिला जिसे गवाह श्री संजय कटारिया के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद आरोपी से अपने सिविल कपडों के बारे मे पूछा गया तो उक्त कमरे में ही टंके हुये बताया। आरोपी की उक्त वर्दी आरोपी के बदन से शालीनतापूर्वक उतरवाई जाकर उन्हे उनके सिविल कपडे पहनाये गये। इसके बाद आरोपी श्री मजलिस की जामा तलाशी गवाह राजन मीणा से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब से एक मोबाईल फोन पोको कम्पनी का मिला जिसे गवाह संजय कटारिया के पास सुरक्षित रखवाया गया। उक्त कार्यवाही में रिश्वत लेन देन के वक्त हुई रूबरू वार्तालाप विभागीय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जिसे चालू कर सुना गया तो रिश्वत लेन देने की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। रिकॉर्डर को बंद कर सुरिक्षत ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 8.30 पी.एम पर परिवादी से संबंधित मूल अनसंधान पत्रावली/ रिकॉर्ड की छाया प्रति करवाई जाकर ड्यूटी पर उपस्थित श्री हितेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर से प्रमाणित करवाकर प्रमाण्ति प्रति प्राप्त की गई तथा बाद संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 9.10 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अजय साहु से आरोपी श्री मजलिस ने रिश्वत राशि 130000/-रूपये मांग कर आरोपी कन्हैयालाल सहायक पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर के कहे अनुसार उक्त रिश्वत राशि पुलिस थाना कोतवाली मे अनुसंधान कक्ष मे रखी टेबिल की रैक में रखवाये जाने पर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान श्रीमती सुनीता हैड कानि. द्वारा सरकारी मोबाईल में नया एसडी कार्ड Sandisk 32 GB डालकर श्रीमती सुनीता हैड कानि. से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लैपटॉप मे सेव करवाया गया, करवाई गई वीडियो ग्राफी की दो पेन ड्राईव नई 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक के कबर मे रखकर पेनड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमशः C-1, C-2, अंकित कर पेन ड्राईव मार्क C-1 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन

ड्राइव मार्क C-2, को अनुसंधान हेतु अनशील्ड रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर, उक्त कार्ड को एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई । उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 10.20 पी.एम पर घटना स्थल पुलिस थाना कोतवाली पर लाईट की रोशनी है, दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अजय साहू की निशानदेही से घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 12.00 ए.एम आरोपीगण को बीएनएसएस 2023 में प्रावधानो के अनुसार गिरफ्तार करने का नोटिस जारी किया गया हस्ताक्षर करवा कर सूचित किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 12.05 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गवाहान के समक्ष एवं परिवादी की मौजुदगी में आरोपी श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रोशन लाल उम्र 48 साल जाति जाटव निवासी ग्राम हरसौली तहसील व थाना गोविन्दगढ जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) 61(2) बीएनएस में जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द बाद हस्ताक्षर संलग्न पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार मौके पर उपस्थित डयूटी ऑफिसर श्री प्रमोद सिंह सउनि पुलिस थाना कोतवाली अलवर को नियमानुसार दी गई। तत्पश्चात वक्त करीब 12.35 एएम पर आरोप श्री मजलिस को बीएनएसएस 2023 में प्रावधानो के अनुसार गिरफतार करने का नोटिस जारी किया गया हस्ताक्षर करवा कर सूचित किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 12.40 ए.एम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गवाहान के समक्ष एवं परिवादी की मौजुदगी में आरोपी श्री मजलिश पुत्र श्री छुटमल खान जाति मेंव उम्र 45 साल निवासी ग्राम छिल्लोडी तहसील रैणी थाना राजगढ जिला अलवर को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) 61(2) बीएनएस में जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द बाद हस्ताक्षर संलग्न पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार आरोपी के भाई फकरूदीन के मोबाईल नम्बर [redacted] पर नियमानुसार दी गई। तत्पश्चात दिनांक 16.10.2025 वक्त करीब 1.10 ए.एम पर आरोपी श्री कन्हैयालाल सउनि का मोबाईल फोन वजह सबुत होने के कारण जरिये फर्द पृथक से जप्त कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 1.25 पी.एम आरोपी मजलिस का मोबाईल फोन वजह सबूत होने के कारण जरिये फर्द पृथक से जप्त कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चत वक्त करीब 2.50 ए.एम पर उपरोक्त मौतबिरान एवं परिवादी श्री अजय साहू के समक्ष परिवादी श्री अजय साहू व श्री कन्हैया लाल, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली, जिला अलवर एवं दलाल मजलिस के मध्य दिनांक 15.10.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू/मोबाईल वार्ता के रिकॉर्डर में रिकार्डशुदा एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01,02,03,04 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखा था। कार्यालय की आलमारी में मेरी निगरानी व निर्देशन में रखवाये गये एसडी मैमोरी को आज दिनांक 16.10.2025 को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया जिसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई। वार्तालाप में परिवादी श्री अजय साहू ने अपनी स्वयं व आरोपी श्री कन्हैया लाल, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली, जिला अलवर एवं दलाल मजलिस की आवाज की पहचान की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री अजय साहू ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के रिकॉर्डिंग फाईल के फोल्डर 01,02,03,04 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री अजय साहू के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क A1 A2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव के साथ पृथक-पृथक एक सफेद कागज चिट जिस पर सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर क्रमशः मार्क A1 A2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A3 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त एसडी मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को जिसमें वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 15.10.2025 रिकॉर्ड है को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉईस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली प्लास्टिक डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त डिब्बी को एक सफेद

क्र की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डमोहर कर उस पर मार्क SD-1 अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए 0बी0 लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले एसडी मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड शुदा वार्तालाप की जो नड्राईव बनाई गई हैं उनमे किसी भी प्रकार की छेडछाड व कांट-छांट नही की गई है। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मु कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 10.30 ए.एम पर उपरोक्त मौ बिरान एवं परिवादी श्री अजय शाहू के समक्ष परिवादी श्री अजय शाहू व आरोपी श्री कन्हैया लाल, सहायक उप नि क्षक, पुलिस थाना कोतवाली, जिला अलवर एवं दलाल मजलिस के मध्य दिनांक 15.10.2025 को रिश्वत लेन देन के स हुई रूबरू/मोबाईल वार्ता के रिकार्डशुदा एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01,02,03 में रि र्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर अपने पास रखा था, को विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की स ता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री अ शाहू ने अपनी स्वयं व आरोपीश्री कन्हैया लाल, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली, जिला अलवर व द मजलिसकी आवाज की पहचान की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गय तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री अजय शाहू ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बा उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अं है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी का के रिकॉर्डिंग फाईल के फोल्डर 01,02,03 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 से मन अतिरिक्त पु अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन पे ईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B1 2 B3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री अजय शाहू के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मा B1 B2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव के साथ पृथक-पृथक एक सफेद कागज चिट जि र सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में कर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर कर कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B3 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गय उक्त एसडी मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को जिसमें वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 15.10.2025 रिकॉर्ड है को सु त हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के ह र करवाकर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली प्लास्टिक डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया ए ता डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डमोहर कर उस पर मार्क SD-2 अं कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले एसडी मैमोरी कार्ड मे रि शुदा वार्तालाप की जो पेनड्राईव बनाई गई हैं उनमे किसी भी प्रकार की छेडछाड व कांट-छांट नही की गई है। इस का ही की पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 2.3 पी.एम ट्रेप कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई सी की नमूना ब्रास सील नम्बर 66 को श्री भास्कर हैड कानि 59 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर धितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 2.45 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में शी ल्ड माल वजह सबूत समस्त को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुरक्षित हालात में मालखाना में ज कराने हेतु दुरूस्त हालत मे सम्भलाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से परिवादी श्री अज साहू की लिखित रिपोर्ट दिनांक 14.10.2025 पर आयोजित की गई ट्रैप कार्यवाही के दौरान उजागर हुये तथ्यो के आ पर आरोपी परिवादी श्री अजय साहू के विरूद्ध दर्ज मुकदमे में श्री कन्हैयालाल सउनि अनुसंधान अधिकारी से एफआर दिल ने व एफआर को कोर्ट मे पेश करवाने के लिये परिवादी अजय साहु से 150000/-रूपये की आरोपी कन्हैयालाल सहा उप निरीक्षक के लिये रिश्वत की मांग करना जिस पर दिनांक 14.10.2025 को शिकायत का सत्यापन करवाये जाने र आरोपी द्वारा श्री कन्हैयालाल सहायक उप निरीक्षक की उपस्थिति में परिवादी से उसके विरूद्ध दर्ज एफआईआर न 707/2025 में एफआर लगाने की बातचीत करना तथा उक्त केस में एफआर दिलवाने व एफआर को कोर्ट मे पेश करने के लि परिवादी से 150000/-रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा परिवादी के आग्रह करने पर 130000/-रूपये की शि पर सहमत होने के तथ्य स्पष्ट रूप से पाये गये ,जिस पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया दौराने ट्रेप कार्य ही दिनांक 15.10.2025 को आरोपी श्री कन्हैयालाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर के साथ लिभगत कर परिवादी श्री अजय शाहू से 130000/-रूपये मांग कर रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा रिश्वत राशि को आरो के कहे अनुसार आरोपी द्वारा उसके अनुसंधान कक्ष की टेबिल का पल्ला आरोपी द्वारा खोलने पर उक्त रैक में उसके कहे सार रखना एवं उक्त रिश्वत राशि टेबिल की दराज से 130000/-रूपये बरामद होने से आरोपीगण 1. श्री कन्है लाल पुत्र श्री रोशन लाल उम्र 48 साल जाति जाटव निवासी ग्राम हरसौली तहसील व थाना गोविन्दगढ जिला अल हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार

नि रण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) 61(2) बीएनएस, 2. श्री मजलिश पुत्र श्री छुटमल खान जाति मेंव उम्र 45 ाल निवासी ग्राम छिल्लोडी तहसील रैणी थाना राजगढ जिला अलवर (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) का उक्त कृत्य जुर्म अ ति धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) 61(2) बीएनएस में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पा गया है।अतः श्री 1- श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रोशन लाल उम्र 48 साल जाति जाटव निवासी ग्राम हरसौली तहसील व था गोविन्दगढ जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर 2-श्री मजलिश पुत्र श्री छु ल खान जाति मेंव उम्र 45 साल निवासी ग्राम छिल्लोडी तहसील रैणी थाना राजगढ जिला अलवर (प्राईवेट व्यक्ति द) उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018), 61(2) बी एस में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तै कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।(महेन्द्र कु)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।..........कार्यवाही पुलिस...........प्रमाणित किया जाता है कि परोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो, अलवर प्र , अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा सं न 2018), 61(2) बीएनएस में आरोपीगण श्री 1- श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रोशन लाल उम्र 48 साल जाति जाटव नि सी ग्राम हरसौली तहसील व थाना गोविन्दगढ जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला अल र 2-श्री मजलिश पुत्र श्री छुटमल खान जाति मेंव उम्र 45 साल निवासी ग्राम छिल्लोडी तहसील रैणी थाना राजगढ जि अलवर (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उ करण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल यादव, उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी को मनोनित कि गया है। उक्त की रोजनामचाआम 519 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार नि क ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1562-64 दिनांक 18.10.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर, 2.पुलिस अधीक्षक जिला अल र, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर-प्रथम, 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अल र प्रथम, अलवर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

1 . A on taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) R gistered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) D ected (Name of I.O.): (च अधिकारी का नाम): PARAMESHWAR LAL YADAV Rank (पद): उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

N (सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) fused investigation due to
(च के लिए) :

(के कारण इंकार किया, या)

(4) T nsferred to P.S.(थाना): District (जिला):

o point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I. ead over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the co lainant/informant free of cost.

(शि तकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/09/1978				
2	Male	1980				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Other (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)